

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur
D-14, International City, Nariyawal, Bareilly-243123
Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

दिनांक : 18.10.2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-226001

विषय:—जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-730C, 730B एवं 731K (रद्वैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे० के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड (संरक्षित वन भूमि) पर स्थित परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ द्वारा स्तर-I (Stage-I) की सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 13.06.2022 की गयी है।

2. स्तर-II (Stage-II) की अनुमति हेतु कतिपय इंगित/वांछित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.04.2023 एवं 28.06.2022 (प्रति संलग्न) दिया जा चुकी है बिन्दु-10 "Road side plantation shall be carried out at the cost of User Agency by the Forest Department". के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत के पत्र दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से विषयक परियोजना में Roadside plantation scheme के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में 1009 पौधों को आयसन गार्ड में रोपण हेतु व्यय धनराशि रू०-40,38,400.00 जमा कराये जाने हेतु आग्रह किया गया जिसे इस कार्यालय द्वारा CAMPA Fund में UTR No. CNRBR52023101665550605 द्वारा जमा किया जा चुका है जो Parivesh पोर्टल पर प्रदर्शित है (प्रतिसंलग्न)

3. अतएव प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत द्वारा निर्गत Roadside plantation scheme एवं प्रभावित Tree list (प्रति संलग्न) को Parivesh पोर्टल पर अपलोड कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 में स्तर-II (Stage-II) की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपि :-

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
2. मुख्य अभियंता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० बरेली वृत्त, बरेली।
4. जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, जनपद- पीलीभीत।

(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत
पत्रांक 501 /14-1, पीलीभीत, दिनांक- 13/09/2023
(बनकटी रोड, पीलीभीत- 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय-

जनपद-पीलीभीत में राष्ट्रीय राज्य मार्ग-730 सी० 730 वी एवं 731 के० (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.36 हे० गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 26427 बाघक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road/49626/2020 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

भारत सरकार के कार्यालय का पत्रांक-08वी/यू०पी०/06/29/2022/एफ०सी०/195 दिनांक-23.06.2023 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 4062/11सी/ FP/UP/Road/49626/2020 दिनांक-28.06.2023 तथा प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक- 641/15-1 दिनांक- 11.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सानुरोध अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत द्वारा अपने कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार कर दिया गया है।

अतः निराकरण के उपरान्त प्रस्ताव/अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
1	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में शर्त संख्या- 11 के अनुसार Roadside Plantation scheme उपलब्ध नहीं करायी गयी है।	प्रश्नगत मार्ग के दोनों तरफ 1009 पौधों (आयरन गार्ड में) के रोपण हेतु Roadside Plantation scheme संलग्न कर प्रेषित है। उक्त पौधों (आयरन गार्ड में) के रोपण हेतु धनराशि की मांग प्रयोक्ता एजेन्सी से की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त मार्ग पर सड़क के किनारे दोनों तरफ वृक्षारोपण कराया जायेगा।

भवदीय,

(विजय सिंह)

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,

पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

पत्रांक /अ-दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव को वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की तीनों प्रतियां मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(विजय सिंह)

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
पत्रांक-641/15-1, पीलीभीत, दिनांक 11 सितम्बर, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त,
पीलीभीत।

विषय :- जनपद-पीलीभीत में राष्ट्रीय राज्य मार्ग 730सी0 730बी0 एवं 731के0 (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.36 हे० गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 26427 बाघक वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8वी/यू0पी0/06/29/2022/एफ0सी0/195 दिनांक-23.06.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-4062/11-सी FP/UP/Road/49626/2020 date 28.06.2023

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-2501/11-सी दिनांक-24.05.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार प्रेषित है।

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
1	2	3
1	सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में शर्त संख्या-11 के अनुसार Roadside Plantation scheme उपलब्ध नहीं करायी गयी है।	प्रश्नगत मार्ग के दोनों तरफ 498 पीछों (आयरन गार्ड में) के रोपण हेतु Roadside Plantation scheme संलग्न कर प्रेषित है। उक्त पीछों (आयरन गार्ड में) के रोपण हेतु धनराशि की मांग प्रयोक्ता एजेन्सी से की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त मार्ग पर सड़क के किनारे दोनों तरफ वृक्षारोपण कराया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक-641/15-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहाँपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

जनपद-पीलीभीत में राष्ट्रीय राज्य मार्ग 730सी0 730बी0 एवं 731के0 (रूढ़ी-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.36 हे० गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 26427 बाघक वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में उक्त मार्ग के दोनो तरफ रोपित किये जाने वाले 498 पौधों (आयरन गार्ड में) की Roadside Plantation scheme.

क्र० सं०	कि०मी० कहीं से कहीं तक	पटरी	रोपित पौधों की संख्या	प्रजाति का नाम
1	2	3	4	5
1	151.720 से 151.780	दोयी	09	जामुन, अर्जुन, आंवला, शीशम, कंजी
2	152.100 से 152.200	वोयी	17	
3	152.200 से 152.250	दोयी	09	
4	152.300 से 152.350	वोयी	09	
5	152.400 से 152.750	वोयी	59	
6	152.750 से 153.100	दोयी	59	
7	152.900 से 153.100	वोयी	33	
8	153.300 से 153.420	वोयी	20	
9	154.00 से 154.100	वोयी	17	
10	154.750 से 154.800	वोयी	09	
11	155.400 से 155.550	दोयी	25	
12	158.920 से 159.00	वोयी	13	
13	158.850 से 159.00	दोयी	25	
14	160.020 से 160.090	वोयी	11	
15	161.550 से 160.600	दोयी	09	
16	161.930 से 161.980	दोयी	09	
17	161.930 से 161.980	वोयी	09	
18	163.950 से 164.00	वोयी	09	
19	163.950 से 164.00	दोयी	09	
20	164.320 से 164.400	वोयी	13	
21	169.550 से 169.600	वोयी	09	
22	169.850 से 170.00	वोयी	25	
23	170.100 से 170.220	दोनों	40	
24	172.280 से 172.500	दोयी	42	
25	174.200 से 174.250	दोयी	09	
		योग	498	


(सिद्धार्थ सिंह)
साइट इंजीनियर
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर


(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
पत्रांक- 804 / 15-1, पीलीभीत, दिनांक 25 सितम्बर, 2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एण्ड हाईवे,
शाहजहाँपुर।

विषय :-

जनपद-पीलीभीत में राष्ट्रीय राज्य मार्ग 730सी0 730बी0 एवं 731के0 (रूँढता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.36 हे0 गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 26427 बाधक वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8वी/यू0पी0/06/29/2022/एफ0सी0/195 दिनांक 23.06.2023
ONLINE PROPOSAL NO. FP/UP/ROAD/49626/2020

उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद-पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग रूँढता-पीलीभीत सेक्शन में 731K कि0मी0 137.250 से 183.380 (पैकेज-VI) के निर्माण कार्य में प्रभावित 44.376 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 26427 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति हेतु दिनांक 13.06.2022 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी शर्त संख्या-11 के अनुसार Roadside Plantation Scheme के तहत कराये जाने वाले क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा किया जायेगा, जो कि Forest Clearance Portal की वेबसाइट Forestclearance.nic.in पर उपलब्ध है।

1. Roadside Plantation Scheme के तहत 1009 पौधों को

आयरन गार्ड में रोपण हेतु व्यय की धनराशि 4038400.00 (रु0-चालीस लाख अड़तीस हजार चार सौ मात्र)

(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,

वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक- 804 / 15-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,

वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहाँपुर द्वारा कराये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730B 730C 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वनभूमि 44.36 हे० गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में शर्त संख्या-11 के अनुसार **Roadside Plantation scheme** के तहत 1009 आयरन गार्ड में कराये जाने वाले वृक्षारोपण का व्यय प्राक्कलन।

कार्य :- अग्रिम मृदा सह वृक्षारोपण कार्य

पौध संख्या :- 1009

मानव दिवस दर :-201.0

क्षेत्र का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730B 730C 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) कि०मी० 151.720 से 175.650 तक

क०सं०	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सफाई एवं मलवा फिकाई व गडढा खुदान (0.60x0.60x0.60)	प्रति गडढा	1009	20.10	21199.00
2	गडढो में गोबर की खाद	प्रति गडढा	1009	10.42	10514.00
3	गडढों में कीटनाशक दवा कय तथा मिलाना	प्रति गडढा	1009	1.52	1534.00
4	गडढों में गोबर खाद मिलाकर भरना	प्रति गडढा	1009	1.60	1614.00
5	पौधों का मू० ढुलान सहित (वि० पौ०से)	प्रति पौध	1009	89.51	90316.00
6	पौधों का गडढों तक ढुलान	प्रति पौध	1009	2.49	2512.00
7	पौधारोपण सिंचाई व थांवला बनवाई	प्रति पौध	1009	5.63	5681.00
8	एच०डी०पी०आई० आयरन सपोर्ट ट्री गार्ड मोनोग्राम सहित	प्रति ट्री गार्ड	1009	1180.00	1190620.00
9	पौधों की सिंचाई मय डीजल की कीमत आदि 6 बार	प्रति पौध	6054	7.42	44921.00
10	पौधों की नि० गु० एवं थावंला बनवाई 2 बार	प्रति पौध	2018	1.29	2603.00
11	अन्य व्यय सुरक्षा आदि सहित	-	-	-	486.00
	योग				1372000.00

(रोहित जोशी)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
बीसलपुर

अनुमोदित

✍

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर
पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्यजीव, प्रभाग
पीलीभीत

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहाँपुर द्वारा कराये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730B 730C 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वनभूमि 44.36 हे० गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में शर्त संख्या-11 के अनुसार **Roadside Plantation scheme** के तहत 1009 आयसन गार्ड में कराये जाने वाले वृक्षारोपण का व्यय प्राक्कलन।

कार्य :- अनुक्षण कार्य प्रथम वर्ष

पौध संख्या :- 1009

मानव दिवस दर :-201.0

क्षेत्र का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730B 730C 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) कि०मी० 151.720 से 175.650 तक

क०सं०	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	आर०सी०सी० गार्ड की मरम्मत पौधों का बदलना सुरक्षा आदि 10 प्रतिशत अनुमानित	प्रति ट्री गार्ड	1009	111.58	112584.00
2	पौधों की सिंचाई मय डीजल (अप्रैल से जून) 12 बार	प्रति पौध	12108	8.04	97348.00
3	पौधों की सिंचाई मय डीजल (अक्टूबर से मार्च) 5 बार	प्रति पौध	5045	7.35	37081.00
4	पौधों की नि० गु० एवं थावंला बनवाई 2 बार	प्रति पौध	2018	1.29	2603.00
5	अन्य व्यय सुरक्षा आदि सहित	—	—	—	384.00
	योग				250000.00


(रोहित जोशी)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
बीसलपुर

अनुमोदित

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर
पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत


(संजीव कुमार मिश्र)
प्रमाणित निदेशक
राष्ट्रीय वन्यजीव प्रभाग
वन एवं वन्यजीव विभाग, पीलीभीत

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहाँपुर द्वारा कराये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730B 730C 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वनभूमि 44.36 हे० गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में शर्त संख्या-11 के अनुसार **Roadside Plantation scheme** के तहत 1009 आयसन गार्ड में कराये जाने वाले वृक्षारोपण का व्यय प्राक्कलन।

कार्य :- अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष

पौध संख्या :- 1009

मानव दिवस दर :-201.0

क्षेत्र का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730B 730C 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) कि०मी० 151.720 से 175.650 तक

क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	आयसन गार्ड की मरम्मत पौधों का बदलना सुरक्षा आदि 10 प्रतिशत अनुमानित	प्रति ट्री गार्ड	1009	111.58	112584.00
2	पौधों की सिंचाई मय डीजल (अप्रैल से जून) 8 बार	प्रति पौध	8072	8.04	64899.00
3	अन्य व्यय सुरक्षा आदि सहित	—	—	—	517.00
	योग				178000.00

(रोहित जोशी)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
बीसलपुर

अनुमोदित

४५

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर
पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत

(संजीव कुमार)
प्रमाणित निदेशक
राष्ट्रीय वन्यजीव प्रभाग
वन एवं वन्यजीव विभाग, पीलीभीत

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहाँपुर द्वारा कराये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730B 730C 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वनभूमि 44.36 हे० गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में शर्त संख्या-11 के अनुसार **Roadside Plantation scheme** के तहत 1009 आयसन गार्ड में कराये जाने वाले वृक्षारोपण का व्यय प्राक्कलन।

कार्य :- अग्रिम मृदा कार्य सह वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण कार्य पौध संख्या :- 1009 मानव दिवस दर :-201.0

क्षेत्र का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730B 730C 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) कि०मी० 151.720 से 175.650 तक

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1	अग्रिम मृदा सह वृक्षारोपण कार्य	1372000.00
2	अनुरक्षण प्रथम वर्ष	250000.00
3	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	178000.00
4	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	195800.00
5	अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	215380.00
6	अनुरक्षण पंचम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	236918.00
7	अनुरक्षण षष्ठम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	260610.00
8	अनुरक्षण सप्तम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	286671.00
9	अनुरक्षण अष्टम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	315338.00
10	अनुरक्षण नवम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	346872.00
11	अनुरक्षण दसम वर्ष (10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	381559.00
	योग	4038348.00
		या
		4038400.00

(रोहित जोशी)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
बीसलपुर

अनुमोदित

क

वन संरक्षक/फोल्ड डायरेक्टर
पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत

(प्रमोद कुमार)
प्रमोद कुमार निदेशक
राज्य वन विभाग प्रभाग
वन एवं वन्यजीव अभिलेख पीलीभीत

कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
पत्रांक- 3859/15-1, पीलीभीत, दिनांक 21 जून, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-730 सी0, 730बी एवं 731 के0 (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 26427 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UPROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-730 सी0, 730बी एवं 731 के0 (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे0 गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 26427 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UPROAD/49626/2020 में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा Stage-I की सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 13.06.2022 को निर्गत किये जाने के उपरान्त उसकी अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी, जिसके क्रम में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 31.08.2022 द्वारा लगाई गयी आपत्तियों पर अनुपालन आख्या वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वृत्त, पीलीभीत ने अपने कार्यालय के पत्रांक 1875/14-1 दिनांक 18.04.2023 द्वारा प्रेषित की चुकी है।

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.06.2023 के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्ताव में विधिवत Stage-II की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रस्ताव सं0 FP/UPROAD/49626/2020 की विधिवत Stage-II की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय

(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक- 3859/15-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर को उनके पत्र दिनांक 08.06.2023 के क्रम सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur
D-14, International City, Nariyawal, Bareilly-243123
Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

Date: 17.05.2023

To,

Divisional Forest Officer (DFO),
Pilibhit Forest Division
District-Pilibhit(U.P)

Subject:- Rehabilitation and Upgradation to 2-lane with paved shoulders configuration of Radhaita to Pilibhit Section of NH-731K (Km.137.250 to Km.183.380) (Package-IV) in the State of Uttar Pradesh under Green National Highways Corridor Project (GNHCP) with the loan assistance of world Bank on EPC mode -Stage II approval- Reg.

- Ref.:** (i) Proposal No.FP/UP/ROAD/49626/2020
(ii) DPR consultant letter dated 17.05.2023
(iii) Your office letter dated 28.04.2023
(iv) This office letter dated 13.04.2023

Sir,

Please refer to your letter cited under reference (iii) therewith requesting this office to submit Toll plaza KML file and certain documents. Accordingly, DPR consultant vide letter dated 17.05.2023 has submitted the said documents. The same is being forwarded for necessary action.

2. Further, this office vide letter dated 13.04.2023 has already submitted compliance to observations for Stage-II approval.
3. In view of above, it is kindly requested to forward proposal to Competent Authority for Stage-II approval of captioned subject work.

Encl.: As above.

Yours Sincerely,

Aman Kumar Trigun
(Aman Kumar Trigun)
Project Director

Project Implementation Unit, Shahjahanpur

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली।
4. जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत।
5. मेसर्स चैतन्या प्रोजेक्ट कन्सल्टेंसी प्रा0लि0 सह एग्निसियो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 (परियोजना सलाहकार)- उक्त प्रकरण में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र कार्य निष्पादन कराये जाने हेतु प्रेषित।

(Aman Kumar Trigun)
Project Director

Project Implementation Unit, Shahjahanpur



Chaitanya Projects Consultancy Pvt. Ltd.
(An ISO 9001:2008 Certified Company)
(Architecture & Urban Planning, Highways & Bridges,
Survey & Geotech Investigation, GIS Application)

CHAITANYA PROJECT CONSULTANCY PVT. LTD.
In Association with
AGNITIO INFRASTRUCTURE PROJECTS PVT. LTD.



Corporate Office:-
R.N.-73, Kapil Muni House, Sector-62,
Noida, G.B. Nagar, Uttar Pradesh-201305

CPC-AIPPL/DPR/Bewar/Uttar Pradesh/2022/1016

Dated:- 17.05.2023

To,
Project Director
Project Implementation Unit, Shahjahanpur
D-14, International City, Nariyawal,
Bareilly -243123

Sub: Consultancy Services for feasibility study and preparation of Detailed Project Report (DPR) for improvement and upgradation of in principle declared National Highways in the state of Uttar Pradesh package no.-III (stretch from Bewar (On NH-34) Fatehgarh-Miranpur Katra (On NH-30) Bilaspur- Pilibhit (On NH-730) and length 191 km-Location of Toll Plaza on NH-731K-Reg.

Ref: Your office mail dated 03.05.2023

Respected Sir,

This letter is regarding submission of proposed Toll Plaza kml and tree list.

We are submitting the required kml file and documents of Toll Plaza through this letter. The tree list already has been submitted to the Divisional Forest Officer office Pilibhit.

Kindly find the attached file and facilitate the process.

Thanking you and assuring you of our best services always,

Yours Faithfully

For CPC-AIPPL (Assn.)

Authorized Signatory

Encl: As above

कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
पत्रांक-3302/15-1, पीलीभीत, दिनांक 20 अप्रैल, 2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई
शाहजहाँपुर
विषय :- जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-730C, 730B एवं 730K
(रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) में प्रस्तावित टोल प्लाजा के
स्थानांतरण (Shifting) के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक-PIU/MORT&H/PBE/Forest/2022-
21/1794 दिनांक-25.11.2022

उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग पर
प्रस्तावित टोल प्लाजा के सम्बन्ध में आप से एवं दिनांक 21.4.2023 को उप वन
महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से दूरभाष पर हुई
वार्ता के क्रम में उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रस्तावित टोल प्लाजा की
के0एम0एल0 फाइल, बाधक वृक्षों की सूची एवं अन्य अभिलेख पूर्ण कर पूर्व में
प्रस्तावित प्रस्ताव में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन Re-submit करने का कष्ट करें,
ताकि प्रस्तावित टोल प्लाजा की अनुमति हेतु कार्यवाही की जा सकें।

पत्रांक 3302/29-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत
सूचनार्थ प्रेषित।

9L

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

दिनांक: 13.04.2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
जनपद- पीलीभीत।

विषय:-जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-730C, 730B एवं 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे० के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-1022/15-1, पीलीभीत दिनांक 23.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक 31.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में वांछित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया है।

2. उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या-8, 10 एवं 11 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना निम्न है:-

Sl.No.	Condition	Compliance/Undertaking
8.	No violation of FCA Certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10.	Road side plantation shall be carried out at the cost of User Agency by the Forest Department.	उपलब्ध उपयुक्त स्थानों पर सड़क के किनारे वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जायेगा।
11.	The scheme for the same shall be provided by the State Government.	इस सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. अतएव आपसे सादर आग्रह है कि उक्त प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, लखनऊ।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली।
4. जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur
 B-15, Garden Estate, IPSA, Shahjahanpur-242001
 Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

दिनांक: 28.06.2022

सेवा में,
 प्रभागीय निदेशक,
 वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
 जनपद- पीलीभीत।

विषय:-जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-730C, 730B एवं 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे० के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 26427 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-3947/15-1 पीलीभीत दिनांक 16.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक 13.06.2022 में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में वांछित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया है।

2. उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है:-

Sl. No.	Condition	Compliance/Undertaking
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तुत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 90 ha. degraded forest land in Unchadeeh/Kotakandela Forest Block of Bargarh Range, Chitrakoot Forest Division, District-Pilibhit at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	वन विभाग के सम्बन्धित वन प्रभाग के स्तर से वांछित है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि 44.376x2 88.752 हे० के स्थान पर 90 हे० वन भूमि 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु मांग की गयी आवश्यक धनराशि रू०-2,82,54,300.00 (रुपये दो करोड़ बयासी लाख चौवन हजार तीन सौ मात्र) ई पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से CAMPA Fund में UTR No. CNRBR52022062785039812 द्वारा जमा करायी जा चुकी है।

Aman Kumar Trigun

क्रमशः....2/-

4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 44.376 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि 44.376 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य रु०-12,28,590.00 प्रति हे० की दर से रु०-5,45,19,910.00 (रुपये पाँच करोड़ पैंतालिस लाख उन्नीस हजार नौ सौ दस मात्र) ई पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से CAMPA Fund में UTR No. CNRBR52022062785039812 द्वारा जमा करायी जा चुकी है।
5.	Additional amount of the NPV of the diverted Forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यदि Net Present Value (NPV) में कोई वृद्धि की जाती है तो वह मान्य होगी।
6.	User Agency shall restrict the felling of trees to 26427 trees/minimum numbers in the diverted Forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि बिन्दु सं०-6 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7.	The complete compliance of FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed Certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी महोदय पीलीभीत द्वारा FRA, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।
8.	No violation of FCA Certificate from concerned DFO shall be provided.	-----
9.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA No. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	अनुबन्ध के अनुसार संवेदक (Contractor) द्वारा उपलब्ध उपयुक्त स्थानों पर सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा जिसकी लागत अनुबन्धित धनराशि में सम्मिलित है।
10.	Road side plantation shall be carried out at the cost of User Agency by the Forest Department.	
11.	The scheme for the same shall be provided by the State Government.	-----

Aman Kumar Trigun

12.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas / Forest Areas.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि नियमानुसार गति सीमा सम्बन्धी बोर्ड लगाया जायेगा।
13.	The User Agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC/ REC.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रकरण में CWLW/NBWL/FAC/REC से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के प्रावधानों के अनुसार उक्त परियोजना हेतु Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है।
15.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
16.	No labour camp shall be established on the Forest land.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि वह प्रस्तावित वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं करायेगा।
17.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि Sufficient firewood, preferably the alternate fuel shall be provided to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
18.	The boundary of the diverted Forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार संरक्षित वन भूमि की सीमा का सीमांकन किया जायेगा।
19.	No additional or new path will be constructed inside the Forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि परियोजना के निस्पादन हेतु सामग्री को ले जाने हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।
20.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the User Agency or the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि परियोजना की अवधि में प्रयोक्ता अभिकरण या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा।
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
22.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

Aman Kumar Trigun

23.	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before commencement of works.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रकरण में कार्य किये जाने से पूर्व प्रभावित क्षेत्रफल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की KML को वन विभाग के सहयोग से ई ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
24.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29.01.2018.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि उक्त शर्तों का उलंघन नहीं किया जायेगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018 मान्य होगी।
25.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of Forests & Wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि अन्य शर्त जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास से सम्बन्धित होगी वह मान्य होगी।
26.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि ई पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से CAMPA Fund में जमा करायी जायेगी है। उल्लेखनीय है कि बिन्दु-3 एवं 4 में वांछित धनराशि उक्त पोर्टल के माध्यम से CAMPA Fund में जमा करायी गयी है।
27.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार है।

3. अतएव आपसे सादर आग्रह है कि उक्त प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर कार्यादेश एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति अतिशीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपि:—

1. मुख्य अभियंता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियंता (EAP Zone), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भू-तल, टॉवर-1, जीवन भारती भवन, 124, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
4. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली।
5. जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमन कुमार त्रिगुण)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

शर्त संख्या-1

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के पुनरुद्धार एवं उन्नयीकरण कार्य में आवश्यक 44.376 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग की जायेगी। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि में यदि कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो, शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) के अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान वन विभाग को किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन हेतु मांग की गयी आवश्यक धनराशि को तत्समय वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत नियमानुसार गति सीमा सम्बन्धी बोर्ड लगाया जायेगा।

Amam Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं करायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग—731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी. 183.380 के अन्तर्गत Sufficient firewood, preferably the alternate fuel shall be provided to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार संरक्षित वन भूमि की सीमा का सीमांकन किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के निस्पादन हेतु सामग्री को ले जाने हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।

Anam Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग—731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत परियोजना की अवधि में प्रयोक्ता अभिकरण या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग—731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K के कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि का भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचन वद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49621/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनवद्ध है कि शर्त संख्या-23 के अनुपालन में प्रकरण में कार्य किये जाने से पूर्व प्रभावित क्षेत्रफल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की KML को वन विभाग के सहयोग से ई ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग—731K कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत अनुमति हेतु निर्गत किसी भी शर्त का उलंघन नहीं किया जायेगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Guideline F.No.11-42/2017-FC dt. 29/01/2018 मान्य होगी।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

शर्त संख्या-25

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-731K कि.मी. 147.600 से कि.मी.183.380 के अन्तर्गत, अन्य शर्त जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास से सम्बन्धित होगी वह मान्य होगी।

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

Project Director
Ministry of Road Transport & Highway
Project Implementation Unit,
Shahjahanpur

टोल प्लाजा

मे बावक इसी के छपान की रखी

क्रमांक	पनाति	गोलि	बावक	मिमी	पट्टी	ड्रेनी	दशा
1	मकन	1.20	3.4	४	कमी	७	हारखंडी
2	मीशम	1.50	4.5	"	"	"	"
3	जामुन	0.65	2.3	"	"	"	"
4	"	0.35	1.2	"	"	"	"
5	"	0.55	1.2	"	"	"	"
6	"	0.50	1.2	"	"	"	"
7	"	0.55	1.2	"	"	"	"
8	"	0.70	2.3	"	"	"	"
9	"	0.60	1.2	"	"	"	"
10	"	0.85	2.3	"	"	"	"
11	"	0.75	2.3	"	"	"	"
12	मकन	0.80	2.3	"	"	"	"
13	जामुन	0.83	2.3	"	"	"	"
14	"	0.75	2.3	"	"	"	"
15	मकन	0.90	2.3	"	"	"	"
16	"	1.85	5.6	"	"	"	"
17	खुटेल	0.85	1.2	"	"	"	"
18	"	0.85	2.3	"	"	"	"
19	जामुन	0.92	1.2	"	"	"	"
20	"	0.90	2.3	"	"	"	"
21	खुटेल	0.85	2.3	"	"	"	"
22	खुटेल	0.35	10-15	"	"	III	"
23	खुटेल	0.60	1.2	"	"	U	"
24	मकन	1.05	3.4	"	"	"	"
25	"	1.10	3.4	"	"	"	"
26	जामुन	0.55	1.2	"	"	"	"
27	"	0.70	2.3	"	"	"	"
28	"	0.60	1.2	"	"	"	"
29	मकन	0.60	1.2	"	"	"	"
30	जामुन	0.45	1.2	"	"	"	"
31	"	0.45	1.2	"	"	"	"
32	"	0.90	2.3	"	"	"	"
33	"	0.35	1.2	"	"	"	"
34	"	0.60	1.2	"	"	"	"
35	"	0.50	1.2	"	"	"	"
36	मकन	1.20	3.4	"	"	"	"
37	"	0.95	3.4	"	"	"	"
38	मिथीमिथी	0.45	1.2	"	"	"	"
39	मकन	0.40	1.2	"	"	"	"
40	जामुन	0.90	2.3	"	"	"	"
41	खुटेल	0.35	1.2	"	"	"	"
42	"	0.80	2.3	"	"	"	"
43	"	0.70	2.3	"	"	"	"
44	"	0.60	1.2	"	"	"	"
45	"	0.95	3.4	"	"	"	"
46	जामुन	0.65	2.3	"	"	"	"
47	"	0.50	1.2	"	"	"	"
48	"	0.45	1.2	"	"	"	"
49	"	0.35	1.2	"	"	"	"

कूपन 30

वीसलपुर - पीलीभीत मार्ग पर टोल प्लगजा में वाहन वर्गों के हफान की सूची

क्रमांक	प्राजाति	गोलार्ध	वाहन वर्ग	टि.मी	पट्टी	खुली	दशा
1	मजून	1.20	3.4	8	का	0	ब्याकडा
2	शीशम	1.50	4.5	"	"	"	"
3	जायन	0.65	2.3	"	"	"	"
4	"	0.35	1.2	"	"	"	"
5	"	0.55	1.2	"	"	"	"
6	"	0.50	1.2	"	"	"	"
7	"	0.55	1.2	"	"	"	"
8	"	0.70	2.3	"	"	"	"
9	"	0.60	1.2	"	"	"	"
10	"	0.5	2.3	"	"	"	"
11	"	0.75	2.3	"	"	"	"
12	मजून	0.80	2.3	"	"	"	"
13	जायन	0.82	2.3	"	"	"	"
14	"	0.75	2.3	"	"	"	"
15	मजून	0.90	2.3	"	"	"	"
16	"	1.05	5.6	"	"	"	"
17	खुले	0.85	1.2	"	"	"	"
18	"	0.85	2.3	"	"	"	"
19	जायन	0.92	1.2	"	"	"	"
20	"	0.90	2.3	"	"	"	"
21	खुले	0.85	2.3	"	"	"	"
22	खुले	0.35	10-15	"	"	III	"
23	खुले	0.60	1.2	"	"	U	"
24	मजून	1.05	3.4	"	"	"	"
25	"	1.10	3.4	"	"	"	"
26	जायन	0.55	1.2	"	"	"	"
27	"	0.70	2.3	"	"	"	"
28	"	0.60	1.2	"	"	"	"
29	मजून	0.60	1.2	"	"	"	"
30	जायन	0.45	1.2	"	"	"	"
31	"	0.45	1.2	"	"	"	"
32	"	0.90	2.3	"	"	"	"
33	"	0.35	1.2	"	"	"	"
34	"	0.60	1.2	"	"	"	"
35	"	0.50	1.2	"	"	"	"
36	मजून	1.00	3.4	"	"	"	"
37	"	0.95	3.4	"	"	"	"
38	मिथीमि	0.45	1.2	"	"	"	"
39	मजून	0.40	1.2	"	"	"	"
40	जायन	0.90	2.3	"	"	"	"
41	खुले	0.35	1.2	"	"	"	"
42	"	0.80	2.3	"	"	"	"
43	"	0.70	2.3	"	"	"	"
44	"	0.60	1.2	"	"	"	"
45	"	0.95	3.4	"	"	"	"
46	जायन	0.65	2.3	"	"	"	"
47	"	0.50	1.2	"	"	"	"
48	"	0.45	1.2	"	"	"	"
49	"	0.35	1.2	"	"	"	"

क०प०३०

50	મહુન	1.25	3.4	8	વમી	U	દરિયા	93	મહુન	85	2.3	8	વમી	U	દરિયા
51	જાણ	0.70	2.3	"	"	"	"	94	મહુન	0.60	1.2	"	"	"	"
52	"	0.60	1.2	"	"	"	"	95	"	0.70	2.3	"	"	"	"
53	"	0.55	1.2	"	"	"	"	96	"	0.38	1.2	"	"	"	"
54	"	0.55	1.2	"	"	"	"	97	જાણ	0.45	1.2	"	"	"	"
55	"	0.60	1.2	"	"	"	"	98	મહુન	1.00	5.6	"	"	"	"
56	"	0.55	1.2	"	"	"	"	99	મહુન	80	2.3	"	"	"	"
57	મહુન	0.80	2.3	"	"	"	"	100	જાણ	0.47	1.2	"	"	"	"
58	મહુન	0.82	"	"	"	"	"	101	"	0.55	1.2	"	"	"	"
59	જાણ	0.60	1.2	"	"	"	"	102	મહુન	0.40	1.2	"	"	"	"
60	"	0.55	1.2	"	"	"	"	103	મહુન	0.65	2.3	"	"	"	"
61	મહુન	0.55	1.2	"	"	"	"	104	"	1.00	3.4	"	"	"	"
62	જાણ	0.55	1.2	"	"	"	"	105	મહુન	0.85	2.3	"	"	"	"
63	"	0.52	1.2	"	"	"	"	106	"	0.50	1.2	"	"	"	"
64	મહુન	1.05	3.4	"	"	"	"	107	"	0.70	2.3	"	"	"	"
65	મહુન	0.55	3.4	"	"	"	"	108	મહુન	0.70	2.3	"	"	"	"
66	જાણ	0.36	1.2	"	"	"	"	109	મહુન	1.05	3.4	"	"	"	"
67	મહુન	0.50	1.2	"	"	"	"	110	મહુન	1.10	3.4	"	"	"	"
68	જાણ	0.45	1.2	"	"	"	"	111	"	0.60	1.2	"	"	"	"
69	"	0.45	1.2	"	"	"	"	112	"	0.50	2.3	"	"	"	"
70	"	0.70	2.3	"	"	"	"	113	"	1.02	3.4	"	"	"	"
71	"	0.45	1.2	"	"	"	"	114	"	0.55	1.2	"	"	"	"
72	મહુન	0.70	2.3	"	"	"	"	115	મહુન	0.54	1.2	"	"	"	"
73	"	0.40	1.2	"	"	"	"	116	મહુન	0.65	2.3	"	"	"	"
74	મહુન	0.77	2.3	"	"	"	"	117	"	0.72	2.3	"	"	"	"
75	જાણ	0.50	1.2	"	"	"	"	118	"	0.50	1.2	"	"	"	"
76	"	0.40	1.2	"	"	"	"	119	"	0.42	1.2	"	"	"	"
77	મહુન	1.25	3.4	"	"	"	"	120	જાણ	0.70	2.3	"	"	"	"
78	જાણ	1.25	3.4	"	"	"	"	121	"	0.64	2.3	"	"	"	"
79	મહુન	1.00	3.4	"	"	"	"	122	મહુન	0.55	1.2	"	"	"	"
80	જાણ	0.40	1.2	"	"	"	"	123	જાણ	0.95	3.4	"	"	"	"
81	"	0.45	1.2	"	"	"	"	124	"	0.65	2.3	"	"	"	"
82	"	0.70	2.3	"	"	"	"	125	"	0.85	2.3	"	"	"	"
83	મહુન	0.65	2.3	"	"	"	"	126	જાણ	1.05	3.4	"	"	"	"
84	"	0.90	2.3	"	"	"	"	127	મહુન	0.65	2.3	"	"	"	"
85	જાણ	0.72	2.3	"	"	"	"	128	જાણ	1.40	4.5	"	"	"	"
86	મહુન	0.65	2.3	"	"	"	"	129	મહુન	0.65	2.3	"	"	"	"
87	મહુન	0.95	3.4	"	"	"	"	130	મહુન	1.00	3.4	"	"	"	"
88	"	1.00	3.4	"	"	"	"								
89	મહુન	0.65	2.3	"	"	"	"								
90	મહુન	0.95	3.4	"	"	"	"								
91	"	0.65	2.3	"	"	"	"								
92	મહુન	0.85	2.3	"	"	"	"								

૧૩૧
 ૧૩૨
 ૧૩૩
 ૧૩૪
 ૧૩૫
 ૧૩૬
 ૧૩૭
 ૧૩૮
 ૧૩૯
 ૧૪૦
 ૧૪૧
 ૧૪૨
 ૧૪૩
 ૧૪૪
 ૧૪૫
 ૧૪૬
 ૧૪૭
 ૧૪૮
 ૧૪૯
 ૧૫૦
 ૧૫૧
 ૧૫૨
 ૧૫૩
 ૧૫૪
 ૧૫૫
 ૧૫૬
 ૧૫૭
 ૧૫૮
 ૧૫૯
 ૧૬૦
 ૧૬૧
 ૧૬૨
 ૧૬૩
 ૧૬૪
 ૧૬૫
 ૧૬૬
 ૧૬૭
 ૧૬૮
 ૧૬૯
 ૧૭૦
 ૧૭૧
 ૧૭૨
 ૧૭૩
 ૧૭૪
 ૧૭૫
 ૧૭૬
 ૧૭૭
 ૧૭૮
 ૧૭૯
 ૧૮૦
 ૧૮૧
 ૧૮૨
 ૧૮૩
 ૧૮૪
 ૧૮૫
 ૧૮૬
 ૧૮૭
 ૧૮૮
 ૧૮૯
 ૧૯૦
 ૧૯૧
 ૧૯૨
 ૧૯૩
 ૧૯૪
 ૧૯૫
 ૧૯૬
 ૧૯૭
 ૧૯૮
 ૧૯૯
 ૨૦૦

૧૧
 ૧૨
 ૧૩
 ૧૪
 ૧૫
 ૧૬
 ૧૭
 ૧૮
 ૧૯
 ૨૦
 ૨૧
 ૨૨
 ૨૩
 ૨૪
 ૨૫
 ૨૬
 ૨૭
 ૨૮
 ૨૯
 ૩૦
 ૩૧
 ૩૨
 ૩૩
 ૩૪
 ૩૫
 ૩૬
 ૩૭
 ૩૮
 ૩૯
 ૪૦
 ૪૧
 ૪૨
 ૪૩
 ૪૪
 ૪૫
 ૪૬
 ૪૭
 ૪૮
 ૪૯
 ૫૦
 ૫૧
 ૫૨
 ૫૩
 ૫૪
 ૫૫
 ૫૬
 ૫૭
 ૫૮
 ૫૯
 ૬૦
 ૬૧
 ૬૨
 ૬૩
 ૬૪
 ૬૫
 ૬૬
 ૬૭
 ૬૮
 ૬૯
 ૭૦
 ૭૧
 ૭૨
 ૭૩
 ૭૪
 ૭૫
 ૭૬
 ૭૭
 ૭૮
 ૭૯
 ૮૦
 ૮૧
 ૮૨
 ૮૩
 ૮૪
 ૮૫
 ૮૬
 ૮૭
 ૮૮
 ૮૯
 ૯૦
 ૯૧
 ૯૨
 ૯૩
 ૯૪
 ૯૫
 ૯૬
 ૯૭
 ૯૮
 ૯૯
 ૧૦૦

टोलप्लाजा मिमार्ग मार्ग में वाहन वृक्षों की सूची

क्रमांक	पंजाव	गोलाई	व्यक्ति	किमीटर	पथ	शेरी	दशा
1.	जामुन	0.60	1-2	K.M.-8	बिसलपुर	८८	हवा खाश
2.	भजुन	1.10	3-4		पीलीभीत	८८	हवा खाश
3.	जामुन	0.50	1-2		मार्ग	८८	—
4.	—	0.45	1-2		दांभी	८८	—
5.	—	0.65	2-3		पट्टी	८८	—
6.	—	0.60	1-2			८८	—
7.	—	0.85	2-3			८८	—
8.	गुटेल्	0.60	1-2			८८	—
9.	शीशम	0.45	1-2			८८	—
10.	भजुन	1.00	3-4			८८	—
11.	जामुन	0.45	1-2			८८	—
12.	जामुन	0.75	2-3			८८	—
13.	—	0.40	1-2			८८	—
14.	भजुन	0.95	2-4			८८	—
15.	जामुन	0.48	1-2			८८	—
16.	भजुन	1.10	3-4			८८	—
17.	—	0.90	2-3			८८	—
18.	—	0.77	2-3			८८	—
19.	—	1.00	3-4			८८	—
20.	जामुन	0.50	1-2			८८	—
21.	—	0.75	2-3			८८	—
22.	भजुन	0.55	1-2			८८	—
23.	—	0.90	2-3			८८	—
24.	—	0.65	2-3			८८	—
25.	—	0.35	1-2			८८	—
26.	—	0.95	3-4			८८	—
27.	—	1.25	3-4			८८	—
28.	—	0.45	1-2			८८	—
29.	—	0.70	2-3			८८	—
30.	—	0.68	2-3			८८	—
31.	—	1.10	3-4			८८	—
32.	—	0.74	2-3			८८	—
33.	—	0.60	1-2			८८	—
34.	—	0.68	2-3			८८	—
35.	—	0.85	2-3			८८	—
36.	जामुन	0.45	1-2			८८	—
37.	भजुन	0.65	2-3			८८	—
38.	जामुन	0.62	1-2			८८	—
39.	—	0.50	1-2			८८	—
40.	गुटेल्	0.65	2-3			८८	—
41.	भजुन	0.74	2-3			८८	—
42.	—	0.58	2-3			८८	—
43.	—	1.00	3-4			८८	—
44.	—	0.35	1-2			८८	—
45.	—	0.69	2-3			८८	—
46.	गुटेल्	0.30	0-1			८८	—
47.	जामुन	0.55	1-2			८८	—
48.	भजुन	0.77	2-3			८८	—
49.	जामुन	0.35	1-2			८८	—
50.	भजुन	0.30	0-1			८८	—
—	—	0.60	1-2			८८	—
—	—	0.75	2-3			८८	—
—	—	0.65	2-3			८८	—

दोल्लाजा निर्माण काम में वाधक वृत्तों की सूची

क्रमांक	वर्गीकरण	गैलरी	व्यास	किमीटर	पथ	धोनी	कक्षा
1.	जामुन	0.60	1-2	K.M. - 8	बिष्णुपुर	८८८	हवा रक्षा
2.	भुज	1.10	3-4		सीताभीत	८८८	हवा रक्षा
3.	जामुन	0.50	1-2		मार्ग	८८८	—
4.	—	0.45	1-2		दोपरी	८८८	—
5.	—	0.65	2-3		पट्टी	८८८	—
6.	—	0.60	1-2			८८८	—
7.	—	0.85	2-3			८८८	—
8.	गुटेल	0.60	1-2			८८८	—
9.	सीताभीत	0.45	1-2			८८८	—
10.	भुज	1.00	3-4			८८८	—
11.	जामुन	0.45	1-2			८८८	—
12.	जामुन	0.75	2-3			८८८	—
13.	—	0.60	1-2			८८८	—
14.	भुज	0.95	3-4			८८८	—
15.	जामुन	0.48	1-2			८८८	—
16.	भुज	1.10	3-4			८८८	—
17.	—	0.90	2-3			८८८	—
18.	—	0.77	2-3			८८८	—
19.	—	1.00	3-4			८८८	—
20.	जामुन	0.50	1-2			८८८	—
21.	—	0.75	2-3			८८८	—
22.	भुज	0.55	1-2			८८८	—
23.	—	0.90	2-3			८८८	—
24.	—	0.65	2-3			८८८	—
25.	—	0.35	1-2			८८८	—
26.	—	0.95	3-4			८८८	—
27.	—	1.25	3-4			८८८	—
28.	—	0.45	1-2			८८८	—
29.	—	0.70	2-3			८८८	—
30.	—	0.58	2-3			८८८	—
31.	—	1.10	3-4			८८८	—
32.	—	0.74	2-3			८८८	—
33.	—	0.60	1-2			८८८	—
34.	—	0.68	2-3			८८८	—
35.	—	0.85	2-3			८८८	—
36.	जामुन	0.45	1-2			८८८	—
37.	भुज	0.65	2-3			८८८	—
38.	जामुन	0.62	1-2			८८८	—
39.	—	0.50	1-2			८८८	—
40.	गुटेल	0.65	2-3			८८८	—
41.	भुज	0.74	2-3			८८८	—
42.	—	0.58	1-2			८८८	—
43.	—	1.00	3-4			८८८	—
44.	—	0.35	1-2			८८८	—
45.	—	0.69	2-3			८८८	—
46.	गुटेल	0.30	0-1			८८८	—
47.	जामुन	0.55	1-2			८८८	—
48.	भुज	0.77	2-3			८८८	—
49.	जामुन	0.35	1-2			८८८	—
50.	भुज	0.30	0-1			८८८	—
51.	—	0.60	1-2			८८८	—
52.	—	0.75	2-3			८८८	—
53.	—	0.65	2-3			८८८	—
54.	—	—	—			८८८	—

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई	व्यास कर्मी	कि.मी.	पटरी	श्रेणी	दशा
54.	भजुन	0.45	1-2	K.M. - 8	बीसलपुर- पीलीभीत मार्ग दंभी पटरी	U	हारा खण्ड
55.	—	0.45	1-2				—
56.	—	0.50	1-2	K.M. - 8		U	—
57.	—	0.40	1-2				—
58.	—	0.60	1-2				—
59.	—	0.40	1-2				—
60.	—	0.70	2-3				—
61.	—	0.48	1-2				—
62.	जामुन	0.55	1-2				—
63.	—	0.45	1-2				—
64.	गुटेल्	0.32	1-2				—
65.	भुजि	0.72	2-3				—
66.	जामुन	0.80	2-3				—
67.	भजुन	0.45	1-2				—
68.	—	0.60	1-2				—
69.	जामुन	0.70	2-3				—
70.	भजुन	0.62	1-2				—
71.	—	0.68	2-3				—
72.	जामुन	0.90	2-3				—
73.	—	0.80	2-3				—
74.	भजुन	0.75	2-3				—
75.	—	0.75	2-3				—
76.	जामुन	0.50	1-2				—
77.	—	0.58	1-2				—
78.	गुल्लर	0.50	1-2				—
79.	जामुन	0.73	2-3				—
80.	—	0.80	2-3				—
81.	—	0.77	2-3				—
82.	नीम	0.45	1-2				—
83.	जामुन	0.55	1-2				—
84.	शीशम	0.55	1-2				—
85.	जामुन	0.52	1-2				—
86.	—	0.80	2-3				—
87.	—	0.95	3-4				—
88.	गुल्लर	0.35	1-2				—
89.	शीशम	0.36	1-2				—
90.	जामुन	0.80	2-3				—
91.	—	0.52	1-2				—
92.	—	0.48	1-2				—
93.	—	0.65	2-3				—
94.	शीशम	0.85	2-3				—
95.	जामुन	0.50	1-2				—
96.	—	0.60	1-2				—
97.	—	0.50	1-2				—
98.	—	0.38	1-2				—
99.	भजुन	0.65	2-3				—
100.	—	0.35	1-2				—
101.	मोहोडा	0.60	1-2				—
102.	जामुन	0.65	2-3				—
103.	शीशम	0.35	1-2				—
104.	जामुन	0.50	1-2	K.M. - 8			—

क्र.सं.	पञ्चांग	गोलाई	व्यास क्र.	कि.मी.	पट्टी	श्रेणी	दशा
55	—	0.45	1-2	K.M. - 8	गोसलपुर-	0	हरा खप
56	—	0.45	1-2		पीलीभीत	0	—
57	—	0.40	1-2		मार्ग	0	—
58	—	0.60	1-2		दंगी पट्टी	0	—
59	—	0.40	1-2			0	—
60	—	0.70	2-3			0	—
61	—	0.48	1-2			0	—
62	जामुन	0.55	1-2			0	—
63	—	0.45	1-2			0	—
64	गुदेल	0.32	1-2			0	—
65	भुजिन	0.72	2-3			0	—
66	जामुन	0.80	2-3			0	—
67	भुजिन	0.45	1-2			0	—
68	—	0.60	1-2			0	—
69	जामुन	0.70	2-3			0	—
70	भुजिन	0.62	1-2			0	—
71	—	0.68	2-3			0	—
72	जामुन	0.70	2-3			0	—
73	—	0.80	2-3			0	—
74	भुजिन	0.75	2-3			0	—
75	—	0.75	2-3			0	—
76	जामुन	0.50	1-2			0	—
77	—	0.58	1-2			0	—
78	गुदेल	0.50	1-2			0	—
79	जामुन	0.73	2-3			0	—
80	—	0.80	2-3			0	—
81	—	0.77	2-3			0	—
82	नीम	0.45	1-2			0	—
83	जामुन	0.55	1-2			0	—
84	शीशम	0.55	1-2			0	—
85	जामुन	0.52	1-2			0	—
86	—	0.80	2-3			0	—
87	—	0.95	3-4			0	—
88	गुदेल	0.35	1-2			0	—
89	शीशम	0.36	1-2			0	—
90	जामुन	0.80	2-3			0	—
91	—	0.52	1-2			0	—
92	—	0.48	1-2			0	—
93	—	0.65	2-3			0	—
94	शीशम	0.85	2-3			0	—
95	जामुन	0.50	1-2			0	—
96	—	0.60	1-2			0	—
97	—	0.50	1-2			0	—
98	—	0.38	1-2			0	—
99	भुजिन	0.65	2-3			0	—
100	—	0.35	1-2			0	—
101	मेहोडा	0.60	1-2			0	—
102	जामुन	0.65	2-3			0	—
103	शीशम	0.35	1-2			0	—
104	जामुन	0.50	1-2			0	—

5
J M
21-2

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई	वर्गपास	कि० मी०	पट्टी	श्रेणी	दशा
105	जासुन	0.65	2-3	K.M. 8	दांघी पट्टी	0	हा शब्द
106	—	0.30	0-1	वीसलपुर-पीलीभीत		0	—
107	भजुन	0.53	1-2			0	—
108	जासुन	0.60	1-2			0	—
109	—	0.50	1-2			0	—
110	भजुन	0.43	1-2			0	—
111	जासुन	0.35	1-2			0	—
112	भजुन	1.00	3-4			0	—
113	जासुन	0.35	1-2			0	—
114	भजुन	0.60	1-2			0	—
115	—	0.30	0-1			0	—
116	—	0.45	1-2			0	—
117	—	0.72	2-3			0	—
118	गहूँ	0.35	1-2			0	—
119	जासुन	0.30	0-1			0	—
120	भजुन	0.30	0-1			0	—
121	गहूँ	0.65	2-3			0	—
122	भजुन	0.35	1-2			0	—
123	भजुन	0.35	1-2			0	—
124	शीशम	0.75	2-3			0	—
125	—	0.85	2-3			0	—
126	भजुन	0.57	1-2			0	—
127	—	0.73	2-3			0	—
128	—	0.60	1-2			0	—
129	जासुन	0.45	1-2			0	—
130	भजुन	0.70	2-3			0	—
131	जासुन	0.55	1-2			0	—
132	—	0.66	2-3			0	—
133	शीशम	0.95	3-4			0	—
134	अके० भार० जामिस	1.00	3-4			0	—
135	जासुन	0.50	1-2			0	—
136	—	0.28	0-1			0	—
137	—	0.40	1-2			0	—
138	अके० भार० जामिस	1.38	4-5			0	—
139	जासुन	0.68	2-3			0	—
140	—	1.40	4-5			0	—
141	भजुन	0.95	3-4			0	—
142	—	0.35	1-2			0	—
143	जासुन	0.40	1-2			0	—
144	भजुन	0.58	1-2			0	—
145	—	0.40	1-2			0	—
146	पीपल	1.10	3-4			0	—
147	जासुन	0.55	1-2			0	—
148	—	0.45	1-2			0	—
149	—	0.70	2-3			0	—
150	—	0.45	1-2			0	—
151	जंजलेवी	0.65	2-3			0	—
152	भजुन	0.50	1-2			0	—
153	पीपल	1.25	4-5			0	—
154	जासुन	0.85	2-3			0	—
155	—	0.70	2-3			0	—

वीसलपुर-पीलीभीत

K.M. 8

दांघी पट्टी

क्र.सं.	प्रकार	गोलाई	तरीफास	कि.मी.	पट्टी	श्रेणी	दशा
105	जामुन	0.65	2-3	K.M. 8	दांणी पट्टी	U	सामान्य
106	—	0.70	0-1	मिसलपुर-पीलीभीत	दांणी पट्टी	U	—
107	भुज	0.53	4-2			U	—
108	जामुन	0.60	1-2			U	—
109	—	0.50	1-2			U	—
110	भुज	0.43	1-2			U	—
111	जामुन	0.35	1-2			U	—
112	भुज	1.00	3-4			U	—
113	जामुन	0.35	1-2			U	—
114	भुज	0.60	1-2			U	—
115	—	0.30	0-1			U	—
116	—	0.45	1-2			U	—
117	—	0.72	2-3			U	—
118	शहद	0.35	1-2			U	—
119	जामुन	0.30	0-1			U	—
120	भुज	0.30	0-1			U	—
121	गुलर	0.65	2-3			U	—
122	सीम	0.35	1-2			U	—
123	भुज	0.35	1-2			U	—
124	शहद	0.75	2-3			U	—
125	—	0.85	2-3			U	—
126	भुज	0.57	1-2			U	—
127	—	0.73	2-3			U	—
128	—	0.60	1-2			U	—
129	जामुन	0.45	1-2			U	—
130	भुज	0.70	2-3			U	—
131	जामुन	0.55	1-2			U	—
132	—	0.66	2-3			U	—
133	सीम	0.95	3-4			U	—
134	भुज & शहद	1.00	3-4			U	—
135	जामुन	0.50	1-2			U	—
136	—	0.28	0-1			U	—
137	—	0.40	1-2			U	—
138	भुज & शहद	1.38	4-5			U	—
139	जामुन	0.68	2-3			U	—
140	—	1.00	0-5			U	—
141	भुज	0.95	3-4			U	—
142	—	0.35	1-2			U	—
143	जामुन	0.40	1-2			U	—
144	भुज	0.58	1-2			U	—
145	—	0.10	1-2			U	—
146	सीम	1.10	3-4			U	—
147	जामुन	0.55	1-2			U	—
148	—	0.45	1-2			U	—
149	—	0.70	2-3			U	—
150	—	0.45	1-2			U	—
151	जामुन	0.65	2-3			U	—
152	भुज	0.50	1-2			U	—
153	सीम	1.25	4-5			U	—
154	जामुन	0.85	2-3			U	—
155	—	0.70	2-3			U	—

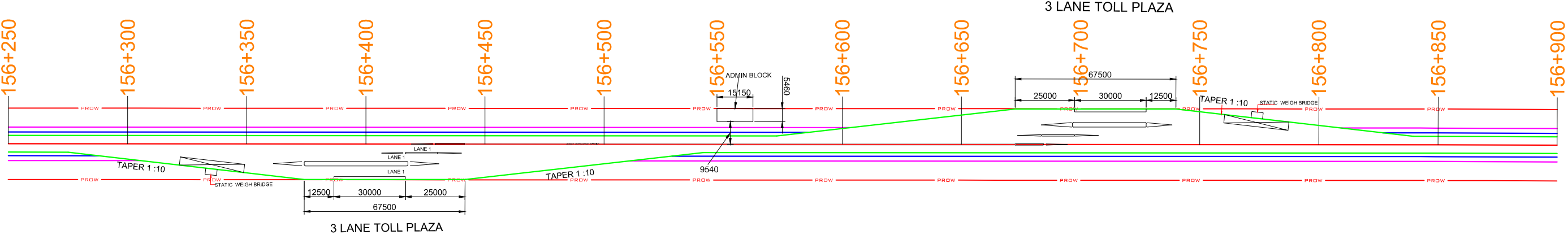
मिसलपुर-पीलीभीत
K.M. 8

दांणी पट्टी

क्र.सं.	पुजा	गोलाई	ठपास	K.M.	पटरी	ब्रेजी	दशा
156	जामुन	0.48	1-2	कि.मी 0-8	वीसलपुर-पीलीभीत	0	हरा खाडा
157	—	0.60	1-2		मार्ग	0	—
158	—	0.80	2-3		दांवी पटरी	0	—
159	—	0.75	2-3			0	—
160	—	0.67	2-3			0	—
161	—	0.35	1-2			0	—
162	अजुन	0.62	2-3			0	—
163	—	0.80	2-3			0	—
164	जामुन	0.76	2-3			0	—
165	अजुन	0.78	2-3			0	—
166	शीशम	0.65	2-3			0	—
167	गुटेल	1.20	3-4			0	—
168	—	1.05	3-4			0	—
169	भकेआरफामिस	0.60	1-2			0	—
170	जामुन	0.70	2-3			0	—
171	जंजरेवी	0.90	2-3			0	—
172	गुटेल	0.85	2-3			0	—
173	—	0.80	2-3			0	—
174	—	0.72	2-3			0	—
175	—	0.85	2-3			0	—
176	—	0.85	2-3			0	—
177	—	0.38	1-2			0	—
178	पाकड़	1.45	4-5			0	—
179	जामुन	0.60	1-2			0	—
180	गुटेल	0.85	2-3			0	—
181	—	1.00	3-4			0	—
182	—	0.65	2-3			0	—
183	—	1.35	4-5			0	—
184	—	0.50	1-2			0	—
185	भकेआरफामिस	1.10	3-4			0	—
186	अजुन	0.48	1-2			0	—
187	गुटेल	0.80	2-3			0	—
188	शीशम	0.90	2-3			0	—
189	जामुन	0.35	1-2			0	—
190	—	0.72	2-3			0	—
191	गुटेल	0.45	1-2			0	—
192	पीपल	0.85	2-3			0	—
193	जामुन	0.50	1-2			0	—
194	शीशम	0.85	2-3			0	—
195	गुलर	0.50	1-2			0	—
196	जामुन	0.85	2-3			0	—
197	—	0.07	3-4			0	—
198	शीशम	0.72	2-3			0	—
199	जामुन	0.71	2-3			0	—
200	—	0.35	1-2			0	—
201	—	0.82	2-3			0	—
202	गुटेल	0.36	1-2			0	—

(चौकिसी)
अरुणसिंह
उरुण

अरुणसिंह
उरुण



Notes:-	
(1)	ALL DIMENSION ARE IN MM
(2)	TAPER LENGTH OF TOLL PLAZA IS 1 IN 10.

Project Title :
Consultancy services for feasibility study and preparation of DPR for improvement and up- gradation of in principle declared National Highways in the state of Uttar Pradesh.
Section : **Bewar - Farrukhabad - Miranpur Katra - Bisalpur - Pilibhit**

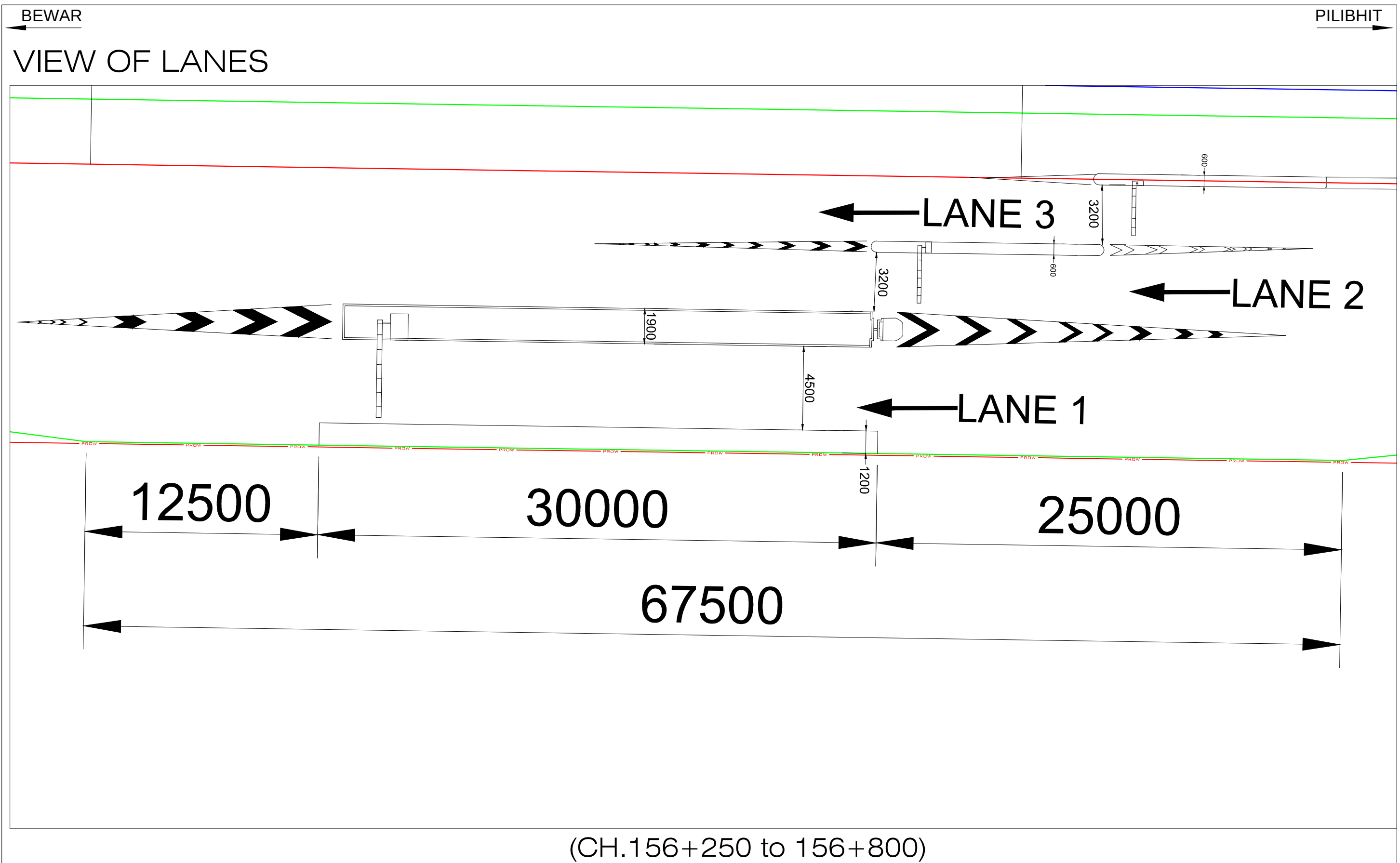
CLIENT

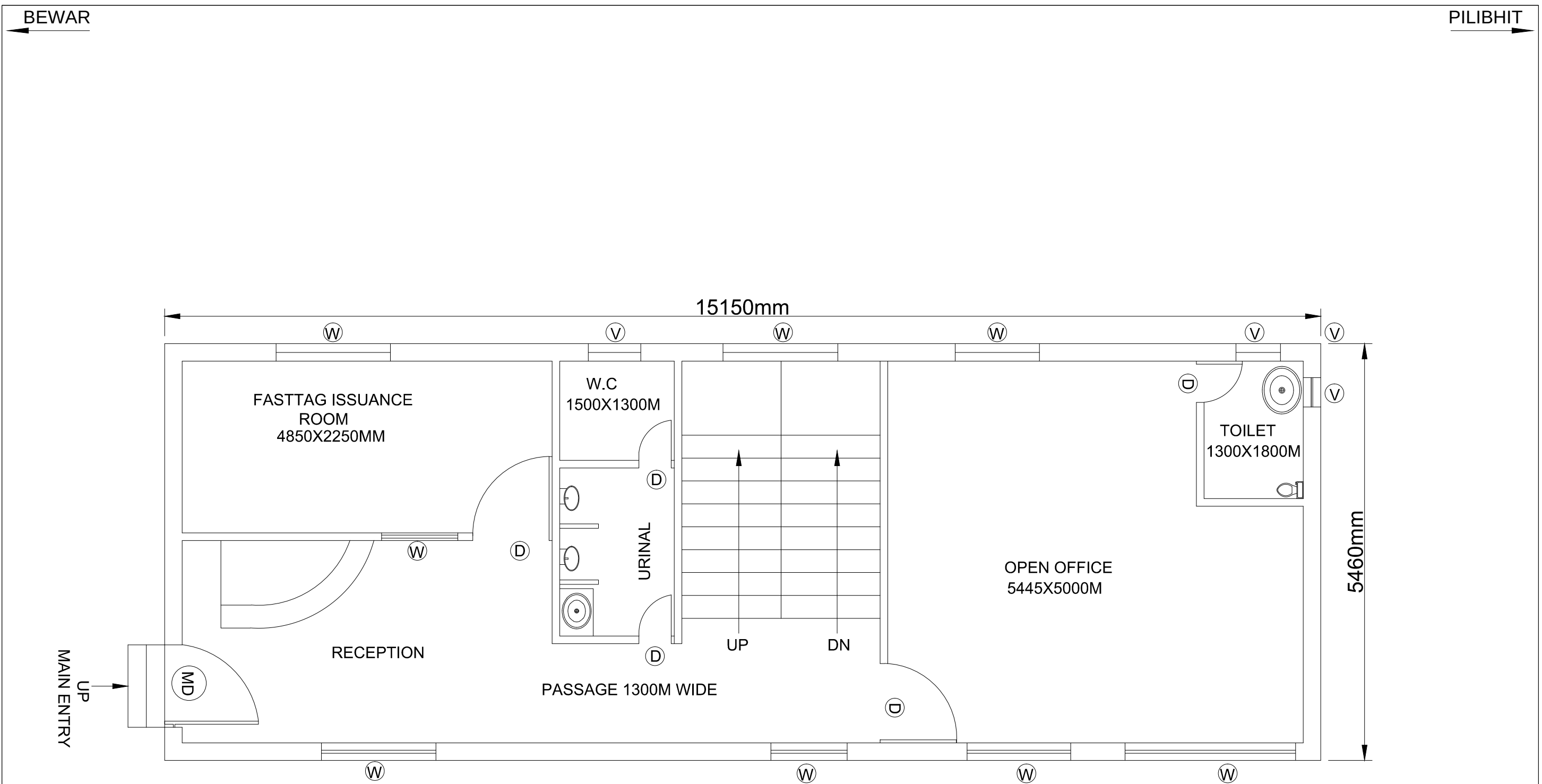


MINISTRY OF ROAD
TRANSPORT & HIGHWAYS

Drawing Title: TYPICAL LAYOUT PLAN OF (3+3) LANE TOLL PLAZA (CH.156+250 to CH.156+800)			
Drawing No. :-			Sheet : 01 OF 01
Scale :- NTS			
Drn	Dgn.	Appd	Date SEP - 2022
S.R	V.P	M.K	

CONSULTANT:
Chaitanya Projects Consultancy Pvt. Ltd.
in association with
Agnitio Infrastructure Projects Pvt. Ltd.
RN-73, Sector-62, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201309





PLAN OF ADMIN BLOCK

LEGENDS		
S.NO	SIGN	MARK
1.0		DOOR (D)
2.0		WINDOW (W)
3.0		WALL
4.0		VENTILATOR (V)

Notes:-

(1)

ALL DIMENSION ARE IN MM

(2)

DRAWING IS NOT TO THE SCALE ONLY WRITTEN DIMENTION TO BE FOLLOWED